पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 50 / 2024

1. विनोद पुत्रगण
2. सुभाष
3. इन्द्राज कुमार

स्व० पृथ्वीराज जाति चमार (मेघवाल) साकिनाये शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. शायरी देवी पत्नी स्व० पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कलावती पुत्री पृथ्वीराज पत्नी बंसीलाल जाति मेघवाल निवासी रेगर मौहल्ला वार्ड नं० 02, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरि० ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 18/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रामस्वरूप भादू व प्रतिवादी वकील रूपराम कासनिया अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक न0 26 एनजीसी के खाता स0 50 / 47 एंव चक न0 1 एम एस एम के खाता स0 18 / 11 में वर्णित आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक न0 26 एनजीसी में से प्रतिवादी स0 1 शायरी देवी व प्रतिवादीया स0 2 कलावती का नाम कलमजन एंव चक न0 1 एम एस एम के खाता स0 18 / 11 में पृथ्वीराज का नाम कलम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी / पूगल को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 18/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।